

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (भारतीय विद्युत अधिनियम 2003) गोहदजिला भिण्ड, (म0प्र0)(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)विशेष विद्युत प्रकरण क0 102/12संस्थापन दिनांक-20-07-2012

म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, द्वारा
श्री चंद्रशेखर सिंह कनिष्ठ यंत्री म0प्र0म0क्षे0वि0वि0
कंपनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----परिवादी/परिवादी कंपनी

॥ वि रू द्ध ॥

सियाराम पुत्र राधाकिशन निवासी चन्दहारा थाना
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियुक्त/उपयोगकर्ता

परिवादी की ओर से – श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अभियुक्त की ओर से – श्री एम0पी0एस0 राणा अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 26/04/18 को घोषित)

01. परिवादी पक्ष के द्वारा, कनेक्शनधारी रामचरन (फौत) के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7470 पर विद्युत बिल की राशि 42474/- रुपये बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 18.05.2012 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 28.05.12 को 03:15 बजे, ग्राम चन्दहारा थाना गोहद में अभियुक्त/उपयोगकर्ता सियाराम द्वारा विद्युत लाईन पर पी.वी.सी. के दो सफेद रंग के तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 का आरोप लगाया गया है।

- 02.** प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत/निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03.** प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी, म०प्र०म०क्ष० विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण, जिला भिण्ड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ होकर परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा कनेक्शनधारी मृतक रामचरन को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7470 दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की राशि 42474/- रुपए बकाया होने से और उपयोगकर्ता/अभियुक्त सियाराम द्वारा बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 03.05.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस प्र०पी०-1 भेजा गया था। तत्पश्चात् बकाया बिल की राशि अभियुक्त द्वारा जमा नहीं किये जाने के कारण दिनांक 18.05.12 को परिवादी कंपनी की ओर से उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विधिवत विच्छेदित कर दिया गया था और प्र०पी०-2 का नोटिस देकर विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश उपयोगकर्ता सियाराम को दिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 28.05.2012 को 03:15 बजे, ग्राम चंदहरा थाना गोहद में जांच अधिकारी परिवादी चंद्रशेखर सिंह जे.ई., अधीनस्थ कर्मचारीगण सुरेश तोमर व मनीष शर्मा लाईन हेल्पर के साथ उक्त विधुत कनेक्शन को निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि उपभोक्ता/अभियुक्त सियाराम के द्वारा परिवादी कंपनी की विद्युत लाईन पर अनाधिकृत रूप से पी०वी०सी० दो सफेद रंग के तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये जाने पर उक्त संबंध में पंचनामा प्र०पी०-3 तैयार किया गया, जिस पर कनेक्शनधारी रामचरन के पुत्र प्रहलाद सहित साथी कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद पत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उपयोगकर्ता/अभियुक्त सियाराम के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश किया गया।
- 04.** परिवाद प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से उसके विरुद्ध आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध घटित करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहे जाने पर परिवादी कंपनी की ओर से परिवाद के समर्थन में मात्र परिवादी/साक्षी चंद्रशेखर प०सा०-1 का परीक्षण कराया गया। तदोपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य में अभियुक्त सियाराम ब०सा०-1 व प्रहलाद ब०सा०-2 के कथन करवाये हैं।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

- 01.** क्या अभियुक्त/उपयोगकर्ता सियाराम के द्वारा दिनांक 28.05.12 को करीब 03:15 बजे, ग्राम चंदहरा थाना गोहद में मृतक रामचरन के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7470, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल. टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था ?
- 02.** दण्डादेश यदि कोई हो ?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

06. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवादी चंद्रशेखर प0सा0-1 का अपने कथनों में कहना है कि दिनांक 03.05.12 को म0प्र0म0क्षे0वि0 वितरण कंपनी गोहद ग्रामीण में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ रहते हुए उपभोक्ता रामचरन के नाम से प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7470 पर विद्युत बिल की बकाया राशि 42474/- रुपये होने के कारण उसने धारा 56 का 15 दिवसीय नोटिस प्र0पी0-1 अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश तोमर को तामील हेतु दिया था, लेकिन इस महत्वपूर्ण साक्षी का अपने कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है कि प्रपी 01 का नोटिस कनेक्शनधारी/उपयोगकर्ता पर तामील कराया गया था। उक्त साक्षी ने सिर्फ तामील हेतु प्रपी 01 का नोटिस अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दिया जाना भर बताया है और प्रपी 01 के नोटिस के अवलोकन से भी पाया जाता है कि उस पर न तो कनेक्शनधारी के हस्ताक्षर हैं और न ही उपयोगकर्ता/अभियुक्त सियाराम के कोई हस्ताक्षर हैं। अतः मामले में परिवादी कंपनी द्वारा प्रपी 01 का नोटिस कनेक्शनधारी अथवा उपयोगकर्ता अभियुक्त सियाराम पर विधिवत तामील कराया जाना साबित नहीं होता है।

7. परिवादी कनिष्ठ यंत्री चंद्रशेखर प0सा0-1 का अपने कथनों में आगे कहना है कि उसने दिनांक 18.05.12 को 7 दिवसीय नोटिस प्र0पी0-2 अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश सिंह तोमर को तामील हेतु दिया था, जो कि उपयोगकर्ता रामचरन की मृत्यु हो जाने से उपयोगकर्ता रामचरन के परिवारिक सदस्य कदम सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था, जबकि नोटिस प्रपी 02 के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त नोटिस

कथित कदम सिंह नामक व्यक्ति पर तामील नहीं हुआ है और न ही परिवारी कंपनी द्वारा कथित उपयोगकर्ता सियाराम पर तामील किया गया है बल्कि प्रहलाद नामक व्यक्ति पर तामील कराया गया है। अतः परिवारी कंपनी द्वारा प्रपी 02 का नोटिस भी अभियुक्त पक्ष पर विधिवत तामील कराया जाना साबित नहीं होता है।

8. परिवारी कनिष्ठ यंत्री चंद्रशेखर प0सा0-01 का अपने कथनों में आगे कहना है कि प्रश्नगत निरीक्षण के समय उसने कटे हुए प्रश्नगत कनेक्शन को अभियुक्त सियाराम के द्वारा अवैध रूप से चालू हालत में करना पाया था, लेकिन उक्त महत्वपूर्ण साक्षी का अपने कथनों में परिवारी पक्ष के मामले के अनुसार ऐसा कदापि कहना नहीं है कि दिनांक 18.05.12 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में मामले में अभियुक्त सियाराम द्वारा प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अवैध रूप से चालू किया जाना भी साबित होना नहीं माना जा सकता है।

9. परिवारी कनिष्ठ यंत्री प0सा0-1 का अपने कथनों में कहना है कि प्रश्नगत निरीक्षण के समय मौके पर उपयोगकर्ता सियाराम के द्वारा डाले गये दो तार लाल और पीले रंग के चालीस फिट के उसने जप्त किये थे, जबकि स्वयं परिवारी द्वारा अपने लिखित परिवाद में प्रश्नगत निरीक्षण के समय मौके पर सफेद रंग के दो तार डले होना लेख किया गया है। अतः परिवारी कनिष्ठ यंत्री प0सा0-1 के उक्त कथन विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं रह जाते हैं।

10. परिवारी कनिष्ठ यंत्री चंद्रशेखर प0सा0-1 का प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा क्रमांक 6 में स्पष्ट रूप से स्वतः ही कहना है कि मौके पर उपस्थित मृतक कनेक्शनधारी रामचरन के पुत्र प्रहलाद द्वारा उसे बताया गया था कि उसके पिता रामचरन पुत्र तुलसीराम के मकान को उपयोगकर्ता/अभियुक्त सियाराम द्वारा क़य किया गया है और विद्युत कनेक्शन का नामांतरण नहीं कराया गया है तथा अभियुक्त सियाराम के द्वारा ही मृतक कनेक्शनधारी रामचरन के विद्युत कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है तथा उसे नहीं मालूम कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन से संबंधित मकान में सियाराम पुत्र वृंदावन शर्मा निवास करता है। अतः यह स्पष्ट है कि परिवारी कनिष्ठ यंत्री चंद्रशेखर प0सा0-1 के द्वारा प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन के वास्तविक उपयोगकर्ता के संबंध में विधि अनुसार अपेक्षित एवं आवश्यक जांच स्वयं नहीं की गयी है तथा अभियुक्त सियाराम के विरुद्ध उपयोगकर्ता के रूप में उसके द्वारा

उपरोक्तानुसार किये गये कथन अनुश्रुत श्रेणी के होने से ग्राह्य योग्य नहीं रह जाते हैं।

11. परिवादी कनिष्ठ यंत्री चंद्रशेखर प0सा0-1 ने अपने कथनों में कनेक्शनधारी मृतक रामचरन के पुत्र प्रहलाद के बताये अनुसार रामचरन द्वारा प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन से संबंधित मकान को अभियुक्त सियाराम को विक्रय कर दिया जाना एवं प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का उपयोग अभियुक्त सियाराम पुत्र राधाकिशन द्वारा किया जाना बताया है, लेकिन स्वयं कनेक्शनधारी मृतक रामचरन के पुत्र प्रहलाद ब0सा0-2 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी चंद्रशेखर प0सा0-1 के उक्त कथनों का रंच मात्र भी समर्थन नहीं किया है, बल्कि अभियुक्त सियाराम ब0सा0-1 के इन कथनों का भलीभांति समर्थन किया है कि उसके पिता रामचरन ने प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन से संबंधित अपने मकान को सियाराम पुत्र वृदावनलाल शर्मा को विक्रय किया है और क्रेता सियाराम शर्मा के द्वारा ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। उक्त संबंध में अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रडी 01 लगायत 05 के दस्तावेजों से भी पुष्टि होना पायी जाती है।

12. उपरोक्त के विपरीत स्वयं परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित परिवाद एवं प्रपी 03 के महत्वपूर्ण पंचनामा प्रपी 03 के अवलोकन से पाया जाता है कि लिखित परिवाद के टाईप होने के पश्चात उसमें हाथ से काले रंग के बॉल पॉइन्ट पेन से बाद में अभियुक्त सियाराम के पिता का नाम राधाकिशन होना लेख किया गया है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण दस्तावेज मौके का पंचनामा प्रपी 03 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें चरण क्रमांक 3 में "उपयोगकर्ता-सियाराम S/O" के पश्चात बाद में भिन्न पेन की स्याही से राधाकिशन होना लेख किया गया है और लिखित परिवाद सहित प्रपी 03 के पंचनामा में कोई जाति का उल्लेख नहीं किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा प्रारंभ से ही मामले में इस आशय का बचाव लिया गया है कि क्रेता के रूप में प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का उपयोग उसके द्वारा नहीं बल्कि सियाराम पुत्र वृदावनलाल शर्मा द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अभिलेख से यह प्रकट है कि स्वयं परिवादी कनिष्ठ यंत्री प0सा0-1 अपने कथनों में उपयोगकर्ता के बिन्दु पर दृढ़तापूर्वक स्थिर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवादी पक्ष द्वारा वास्तविकता की जांच किये बिना आनन-फानन में अभियुक्त को मामलों में झूठा फसाये जाने विषयक लिये गये उपरोक्तानुसार बचाव के सही होने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

13. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर परिवादी चंद्रशेखर प0सा0-1 के उक्त कथनों सहित उसके द्वारा संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप की होना नहीं पाये जाने से विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर ठोस, दृढ़ एवं विश्वासजनक मूल साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त/उपयोगकर्ता सियाराम के द्वारा दिनांक 28.05.12 को करीब 03:15 बजे, ग्राम चंदहरा थाना गोहद में मृतक रामचरन के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7470, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल. टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। तदनुसार अभियुक्त सियाराम को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त जमानत पर है अतः उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा तार अपील अवधि पश्चात अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हो तथा अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0